16/2/18

वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अ. पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सभी तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रथम दृष्टया सद्भाविक का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत है। तथा गांव अन्डगढ तहसील विजयनगर के वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 534/5-0-0, 535/5-01-0, 533/0-8-10 भूमियों की यथास्थिति वाद के अन्तिम निस्तारण तक कायम रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तथा वाद का निस्तारण मेरिट पर होने तक एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद स्थगन शामिल हो। आदेश आज खुले इजलास सुनाया गया। मिसल मूल वाद के साथ नत्थी हो।